जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट–प्लान) की 139 वीं बैठक दिनांक 08.10.2009 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। एजेण्डा संख्या 2 से 6 वननि (बीपीसी) द्वारा तथा अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 1 से 4 व.न.नि. (प्रोजेक्ट) द्वारा तथा अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 5 व 6 व.न.नि. (बीपीसी) द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा बैठक क्रमांक 138 दिनांक 05.10.2009 के अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 2 में संशोधन किया गया। कार्यवाही विवरण की पुष्टि बीपीसी (एलपी) की आगामी बैठक में की जावेगी।

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री एच.एस संचेती, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती दुर्गा जोशी, अति. आयुक्त (भूमि एवं आवाप्ति), जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती शुचि शर्मा, अति. आयुक्त (प्रशासन, एलपीसी, पूर्व), जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।
5. श्री मोहन टावरी, वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), एवं सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–2, जविप्रा, जयपुर।
2. राजेन्द्र विजय, उपायुक्त जोन–4, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री अनिल जैन, उपायुक्त जोन–5, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री अनिल अग्रवाल, उपायुक्त जोन–9, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री बी.एल. गोयल, उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
7. श्रीमती साधना शर्मा, उप नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), जविप्रा जयपुर।

4

निर्णय प्राधिकरण की बैठक में ही लिया जा सकता है। अतः वाणिज्यिक भू–पट्टी न लिए जाने के संबंध में प्रकरण को प्राधिकरण की बैठक में निर्णय करवाये जाने के संबंध निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–5
139/08.10.09 (जोन–11)

विषयः– निजी खातेदार/विकासकर्ता द्वारा ग्राम दहमींकला व दहमीखुर्द की कृषि भूमि पर प्रस्तुत की गई प्रस्तावित संस्थानिक उपयोग योजना का एकल पट्टा प्रकरण अनुमोदन के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इस भूमि के पास नाला है इसलिए जोन द्वारा नाले में आने वाली भूमि की जांच किए जाने के पश्चात् नाले में आने वाली भूमि को कम कर भूमि का एकल पट्टा दिए जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–6
139/08.10.09 (जोन–11)

विषयः–निजी खातेदार/विकासकर्ता एस इण्डिया अम्ब्रोडस प्रा. लि एवं अन्य द्वारा प्रस्तावित आवासीय योजना अनुमोदन के सबंध में।

खातेदार द्वारा प्रस्तुत संशोधित योजना मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया । विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. योजना में 4000.0 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों की राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावे।
2. योजना की भूमि का ग्रामीण से आवासीय में भू–उपयोग उपान्तरण एवं 90बी की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् योजना मानचित्र जारी किए जावें।
3. योजना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर है इसलिए राष्ट्रीय राज मार्ग की चोडाई 300'–0" मानते हुए सडक के केन्द्र से 150'–0" व 100'–0" का प्लान्टेशन कोरिडोर छोडते हुए योजना स्वीकृत की जावे।
4. उपरोक्त शर्तों के साथ योजना अनुमोदन की जावे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर विचार विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–1
139/08.10.09 (जोन–2)

विषयः– गुलाबबाडी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना मल्होत्रा नगर का नियमन करने बाबत्।

एजेण्डा विवरणः–
एजेण्डा संख्याः–1
139/08.10.09

विषयः–बीपीसी (ले आउट प्लान) 138वीं बैठक दिनांक 05.10.09 के कार्यवाही विवरण की पुष्ठि एवं गत बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना रिपोर्ट के सबंध में।।

कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई तथा गत बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन किया गया ।

एजेण्डा संख्याः–2
139/08.10.09 (जोन–5)

विषयः– प्रताप नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 की योजना स्कीम नं. 8–सी के भूखण्ड संख्या सी–39 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। पत्रावली में सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्र उपलब्ध न होने के कारण समिति ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत मूल योजना मानचित्र में इस भूखण्ड की स्थिति की जांच जोन द्वारा किये जाने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने तक स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्याः–3
139/08.10.09 (जोन–5)

विषयः– दी शिवा को–आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि की योजना स्कीम नम्बर–2 बी (शिवा कोलोनी) के भूखण्ड संख्या 50 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। पूर्व में स्वीकृत येाजना मानचित्र में आवासीय क्षेत्रफल 56.83 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है इसलिए 60 प्रतिशत से कम स्वीकृत किये जाने के कारण की जांच मूल पत्रावली से जोन द्वारा किए जाने तक प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–4

139/08.10.09 (जोन–9)

विषयः– निजी खातेदार/विकासकर्ता द्वारा ग्राम नृसिंहपुरा उर्फ रिक्शावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 64, 74 से 79, 91 से 93, 73 कुल रकबा 3.69 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय योजना गोल्डन पार्क (अतिशय विहार) अनुमोदन के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण की 50 वीं बैठक दिनांक 21.07.2003 में 80′ व 80′ से चौडी सडकों में सडक की 1/2 चौडाई के बराबर वाणिज्यिक भू–पट्टी रखे जाने के संबंध में निर्णय लिया गया था इसलिए भू–पट्टी न रखे जाने के संबंध में

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर विचार किया जाकर निम्न शर्तों के साथ अनुमोदन करने का निर्णय लिया गयाः–

- योजना में स्थित ओनर्स लैण्ड को गैर अनुमोदित किया जावे।
- इसी समिति की समीपस्थ योजना मल्होत्रा नगर में 120′ चौडी सडक स्वीकृत की गई है, अतः योजना में भी 120′ चौडी सडक स्वीकृत किया जावे।
- जोन द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार योजना में स्थित भूखण्ड संख्या 257–ए से 270 व 835–ए, 242–बी, 243–बी, 250–बी, 250–बी, 250–सी, 251–सी, 251–डी, 256–ए, बी, व सी नाले के समीप होने के कारण इन्हें गैर अनुमोदित किया जावे।
- योजना के शेष भूखण्डों में से नाले से प्रभावित अन्य भूखण्ड के सबंध में जोन स्तर पर परीक्षण उपरांत नियमन किया जावे।
- जिन भूखण्डों में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है उन्हें योजना मानचित्र पर अंकित किया जावे तथा व्यावसायिक गतिविधियों के हटने के पश्चात् नियमन किया जावे।
- जिन भूखण्डों को नियमानुसार सैटबैक उपरांत निर्माण योग्य क्षेत्रफल नहीं मिलता है, उनका भी योजना मानचित्र पर अंकन कर, उन्हे गैर अनुमोदित किया जावे।
- एजेण्डा में अंकित क्षेत्रफल विश्लेषण को जोन स्तर पर ही सुनिश्चित किया जावे।
- योजना की भूमि नदी, नाले, नाडी, तालाब, जोहडपायतन अथवा जल संग्रहण स्थल एवं अब्दुल रहमान प्रकरणान्तर्गत निर्देशों से प्रभावित नहीं है के संदर्भ में जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।
- वर्तमान जारी आदेश के तहत योजना के समस्त भूखण्डों में वृक्षारोपण के सबंध में जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।
- उपरोक्त शर्तों के साथ योजना अनुमोदन किया जावें।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–2</u>
139/08.10.09 (जोन–12)

विषयः– निजी खातेदार/विकासकर्ता द्वारा कृषि भूमि पर प्रस्तावित आवासीय योजना महालक्ष्मी नगर एन्कलेव के अनुमोदन के सबंध में।

प्रकरण को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया । समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत योजना में सेक्टर सडक के सहारे सेक्टर व्यावसायिक दर्शाते हुये तथा कोने में दर्शित पार्क/सुविधा क्षेत्र को उचित स्थानों पर दर्शाते हुए संशोधित योजना मानचित्र विकासकर्ता से प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–3
139/08.10.09 (जोन–10)

विषयः–नेशनल हाउसिंग को.ऑपरेटिव सोसायटी लि. की आवासीय योजना दादू कालोनी में रोड क्षेत्र में सृजित भूखण्ड संख्या 39–ए को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करते हुये अनुमोदित करने बाबत्।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वार विचार विमर्श पश्चात प्रकरण को मौका निरीक्षण उपरांत तथ्यों के साथ आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–4
139/08.10.09 (जोन–10)

विषयः– श्री सुल्तान सिंह मीणा पुत्र श्री अर्जुन सिंह मीणा को शान्ति नगर गृह नि. स. समिति की अनुमोदित आवासीय योजना लक्ष्मी नगर, गोनेर रोड को विकास समिति द्वारा आवंटित भूखण्ड क्रमांक अनुसार भूखण्ड संख्या 32–ए का पट्टा अभिलेख (लीजडीड) जारी करने के सबंध में बाबत्।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वार विचार विमर्श पश्चात प्रकरण को मौका निरीक्षण उपरांत तथ्यों के साथ पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–5
139/08.10.09 (जोन–9)

विषयः– श्री आलोक जैन के भूखण्ड संख्या– 59, 60, 87, 88,, प्रेम सागर योजना में भूखण्डों के पुनर्गठन के संबध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बैठक में आवेदक के प्रतिनिधि श्री अरूण रांका उपस्थित हुए समिति द्वारा उनको सुना गया तथा योजना मानचित्र का अवलोकन किया गया चूँकि इस योजना के उत्तर की ओर के भूखण्डों का क्षेत्रफल 1156.56 वर्ग गज ही है इस प्रकार योजना के स्वरूप पर कोई असर नहीं पडता है इसलिए प्रेम सागर योजना के भूखण्ड संख्या 59, 60, 87, 88 को पुनर्गठित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–6
139/08.10.09 (जोन–4)

विषयः– सहकारी मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना भगवती नगर–प्रथम में स्थित लैण्ड लॉर्ड एरिया को अनुमोदित किये जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जोन से प्राप्त साईट रिपोर्ट के अनुसार इस भूमि का उपविभाजन कर भूखण्ड विक्रय किए हुए हैं इसलिए प्रार्थी से उपविभाजन मानचित्र प्रस्तुत किए जाने हेतु समिति द्वारा निर्णय लिया गया।

बैठक क्रमांक 138 दिनांक 05.10.2009 के अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 2 में संशोधन

विषयः– भवन मानचित्र समिति की बैठक क्रमांक 138 दिनांक 05.10.2009 के अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 2 छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना मॉडल टाउन ए, जगतपुरा रोड जयपुर के कार्यवाही विवरण में संशोधन के संबंध में।

भवन मानचित्र समिति की बैठक क्रमांक 138 दिनांक 05.10.2009 के अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 2 छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना मॉडल टाउन ए, जगतपुरा रोड जयपुर के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 1 में सेक्टर प्लान के अनुसार 40′ सडक रखे जाने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त जोन ने समिति को अवगत कराया कि मौके की स्थिति के अनुसार इस सडक को 40′ किया जाना संभव नहीं है। इसलिए समिति ने विचार विमर्श पश्चात् इस सडक की चौडाई को 30′ ही रखे जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।

क्रमांक :– जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी)/प्रोजेक्ट/2009/डी– 402
दिनांक :– 13/10/09

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
5. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अति0 आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी)/(भूमि), जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी),जविप्रा, जयपुर।
8. उपायुक्त जोन.......जविप्रा, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

12.10.09

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।